

AFR



2026:AHC:84817

Reserved : April 7, 2026  
Delivered : April 17, 2026

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

**WRIT - A No. - 1456 of 2025**

Rameshwar Dayal

.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and 4 others

.....Respondent(s)

---

Counsel for Petitioner(s) : Arpit Agarwal, Raunak Parekh,  
Sr. Advocate  
Counsel for Respondent(s) : Abhinava Krishna Srivastava,  
C.S.C.

---

**Court No. - 32**

**HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.**

1. This case is arising out of a disciplinary proceedings whereby the petitioner was awarded a punishment of dismissal from service. Basis of the disciplinary proceedings was an order passed by the petitioner while working as Zonal Officer of Nagar Nigam, Varanasi on an application for mutation in regard to a house situated in Varanasi purchased vide a registered sale deed. The petitioner has allowed the application vide an order dated 16.02.2022 and name of vendees were directed to be recorded in revenue records for

the purpose of tax collection. Said order was passed after hearing parties including one Raj Kumar (a complainant). For reference, said order in its entirety is quoted below :-

“निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण मकान नं० डी० 28/105 के दाखिल खारिज के सम्बन्ध में है। वर्तमान समय में उक्त भवन पर ठाकुर राधा कृष्ण जी महादेव मूर्ति मालिक शिकायती श्रीमती शोभा मुखर्जी, पत्नी स्व० प्रोदियत कुमार मुखर्जी, श्री प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० प्रोदियत कुमार मुखर्जी का नाम दर्ज है। भवन के मालिकान व उनके वारिसान तथा मुख्तारे आम के जरिये चार किता रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय करके श्री मोहम्मद जावेद पुत्र हमीद अख्तर व आयशा खातून पत्नी जावेद अख्तर व जमाल अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व इरम सबा पत्नी जमाल अख्तर ने दिनांक **17.03.2017** को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका नाम भवन पर दर्ज किया जाय। कार्यालय द्वारा दिनांक **07.07.2021** को धारा **213** की नोटिस जारी की गई। इस पर श्री राजकुमार ने आपत्ति प्रस्तुत की। फलस्वरूप विषय विवादित होने की दशा में पत्रावली निस्तारण हेतु मेरे पूर्वाधिकारी के समक्ष विचाराधीन थी। उस समय तक निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए पत्रावली मेरे समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।

मैंने सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उनके तथ्यों को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। श्री राजकुमार ने स्वयं को कभी वादमित्र तो कभी प्रबन्धक व पुजारी कहकर आवेदन पत्र दिया है। जबकि पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त भवन से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि कभी पूजा पाठ करते रहे हों और उसी का अनुचित लाभ उठाकर भवन को हड़पने की गरज से तरह-तरह के धमकी भरे शिकायती पत्र दे व दिला रहे हैं। जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

जहाँ तक भवन में मंदिर होने की शिकायत है तो पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भवन के मालिक जिलाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त करके लखनऊ उठा ले गये और वहां पर स्थापित कर दिया। यह कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं था। भवन स्वामी अपनी सहूलियत के लिए पूजा पाठ करने हेतु अपने घर में स्थापित किये थे। श्री प्रशान्त कुमार मुखर्जी के आवेदन पत्र पर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी, दशाश्वमेध, वाराणसी की जांच आख्या पत्र सं० **82/अ०न०म०(द्वितीय)** दिनांक **18.01.2018** में स्पष्ट कहा गया है कि प्रशान्त मुखर्जी निवासी मकान नम्बर डी० **28/105** मोहल्ला पाण्डे हवेली, वाराणसी को दोनो शिवलिंग/नन्दी महाराज की मूर्ति को लखनऊ अपने निवास स्थान पर ले जाने एवं विधि विधान से स्थापित कर पूजा-पाठ करने में किसी प्रकार की कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार जिलाधिकारी महोदय ने पत्र संख्या 4259/ची.री.-2018 दिनांक 12.02.2018 द्वारा प्रशान्त कुमार मुखर्जी को अवगत कराया। श्री राजकुमार स्वयं को मंदिर का पुजारी कहता है परन्तु पत्रावली में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे प्रमाणित होता कि यह कभी पुजारी था और वर्तमान समय में जबकि मंदिर ही नहीं तो यह पूजा-पाठ किसकी करता है। जब भवन स्वामी अपना निजी मंदिर लखनऊ ले गये तो देवता लखनऊ चले गये। अब उस भवन में न कोई मंदिर है, न मूर्ति, न देवता है। भवन में एक दुकान लगभग **12x25** फीट जिसमें श्री राजकुमार के पुत्र मौके पर मिले

एवं शेष आवासीय उपयोग में है। असेसमेंट नकल जो पत्रावली में संलग्न है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी इस भवन में किरायेदार थे। श्री राजकुमार शिकायतकर्ता उक्त भवन से अपना कोई सम्बन्ध प्रमाणित करने में मेरे समक्ष असमर्थ रहे। अतः उनका शिकायती पत्र निरस्त किया जाता है।

नगर निगम द्वारा भवन पर नामांकन टैक्स की वसूली के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा की जाती है। नगर निगम द्वारा किये गये नामांकन से किसी के मालिकाना हक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। मालिकाना हक का निर्णय न्यायालय द्वारा होता है। आवेदक श्री जावेद वगैरह ने रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। बैनामे को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। बैनामा पूर्ण रूप से प्रभावी है। अतः श्री जावेद वगैरह का आवेदन पत्र स्वीकार करके नामांकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### आदेश

अतः मकान नम्बर डी० 28/105 पर दर्ज सभी नाम को खारिज करके उस पर श्री मोहम्मद जावेद पुत्र हमीद अख्तर, आयशा खातून पत्नी जावेद अख्तर, जमाल अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व इरम सबा पत्नी जमाल अख्तर का नाम दर्ज किया जाय। असंतुष्ट पक्ष चाहें तो न्यायालय की शरण ले सकते हैं।”

2. It is also brought on record that said order is challenged at behest of Raj Kumar (complainant), which is still pending before Competent Authority.
3. On basis of a complaint filed by aforesaid complainant that petitioner while passing above referred order has acted in irregular manner with undue haste and conferred undue favour upon applicants who have filed mutation application.
4. In aforesaid circumstances, a charge sheet dated 12.12.2022 was served upon petitioner on six charges. All charges were in reference of above referred order passed on application for mutation that petitioner has failed to take note that vendor has no power to make any sale deed through power of attorney since property in question was a public endowment property and registered accordingly in the records of Municipal Corporation and as such, caused damage to endowment property.

5. It was further alleged that the petitioner was failed to follow due process as well as not taken note of legal opinion provided by advocate for department and failed to take note that any public endowment property cannot be transferred and that a proceedings that no permission was prior sought to sell was ignored and further that above referred order was passed without conducting a spot inspection, which led to an act contrary to provisions of Rule 3(1) of U.P. Government Servant Conduct Rules, 1956 which has caused lowering of prestige of department as well as a misconduct of nature of unbecoming of a government servant.

6. The petitioner has submitted a reply to above referred charge sheet on 12.01.2023 and explained legal and factual position so far as order of mutation is concerned that it was based on a registered sale deed which has not been challenged as well as was not set aside by any competent Court. It was also explained that mutation proceedings being summary in nature does not declare title of parties over property in dispute. Referred order was passed under a quasi-judicial proceedings.

7. The complainant has participated in the proceedings and once he has challenged the order of mutation before Competent Court, no charges are made out.

8. Some facts were also mentioned that earlier deity situated in the concerned house was transferred to Lucknow under an order of District Magistrate, Varanasi as well as that on basis of given facts, it was not a public endowment rather

a private endowment property. Once deity was transferred, the property loses its endowment character. Required due procedure was followed before order on mutation application was passed. Complainant failed to prove any point to challenge the mutation proceedings.

9. Subsequently, the Inquiry Officer conducted inquiry and an inquiry report dated 10.04.2023 was submitted wherein all six charges were found to be proved. For reference, relevant part of the inquiry report on each charge is quoted below :-

“विश्लेषण- अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

प्रथम आरोप में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि भवन संख्या- 28/105 मोहल्ला- देवानाथपुरा दशाश्वमेघ, वाराणसी, जो कि देवोत्तर सम्पत्ति के रूप में नगर नगम वाराणसी के कर निर्धारण पंजिका में अंकित है, के सेवायत या मुख्तारे आम जिसे देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, के द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण बैनामे के आधार पर अपचारी अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध नामान्तरण आदेश दिनांक - 16.02.2022 पारित किया गया।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह कथन किया है कि तत्समय भवन सं० डी 28/105 नगर निगम कर निर्धारण पंजिका में ठाकुर राधाकृष्ण महादेव मूर्ति मालिक एवं बतौर सेवायत शोभा मुखर्जी पत्नी स्व० प्रद्योत कुमार मुखर्जी, प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार गौतम पुत्रगण प्रद्योत कुमार मुखर्जी का नाम अंकित था। इन सभी भवन स्वामियों द्वारा भवन को पंजीकृत बैनामों द्वारा विक्रय किया गया है। तदनुसार ही अपचारी अधिकारी द्वारा पंजीकृत बैनामों के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 16.02.2022 पारित किया गया है। अपचारी अधिकारी का यह भी कथन है कि भवन सं०-डी 28/105 कभी सार्वजनिक देवोत्तर सम्पत्ति नहीं रही है बल्कि व्यक्तिगत देवोत्तर सम्पत्ति रही है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश का अधिकार नहीं था बल्कि मकान मालिक द्वारा अपनी सुविधा के लिए दो अदद शिवलिंग व नन्दी स्थापित किये गये थे जिनकी पूजा अर्चना मकान मालिक के परिवार द्वारा ही की जाती रही है। रजिस्टर्ड बैनामों को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे त्रुटिपूर्ण माना जाना न्याय संगत नहीं है। जब प्रशासन से अनुमति प्राप्त करके उपरोक्त शिवलिंग व नन्दी को मकान मालिक लखनऊ उठा ले गये तो वह भवन देवोत्तर सम्पत्ति नहीं रही। रजिस्टर्ड बैनामा और कब्जे को देखते हुए टैक्स की वसूली के निमित्त नामान्तरण आदेश जारी किया गया है। किसी देवोत्तर सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई गई है।

अपचारी अधिकारी का उक्त कथन तर्क संगत नहीं है क्योंकि अपचारी अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भवन नगर निगम कर

निर्धारण पंजिका में ठाकुर राधाकृष्ण महादेव मूर्ति मालिक एवं बतौर सेवायत शोभा मुखर्जी पत्नी स्व० प्रद्योत कुमार मुखर्जी, प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम पुत्रगण प्रद्योत कुमार मुखर्जी का नाम अंकित था। सेवायत या मुख्तारे आम को देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे में यदि बिना अधिकार के उक्त सम्पत्ति का बैनामा किया गया था तो मात्र दस्तावेज पंजीकृत होने के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया जाना उचित नहीं था। अपचारी अधिकारी ने यह कहा है कि जब प्रशासन से अनुमति प्राप्त करके उपरोक्त शिवलिंग व नन्दी को मकान मालिक लखनऊ उठा ले गये तो वह भवन देवोत्तर सम्पत्ति नहीं रही। वस्तुतः अपचारी अधिकारी का उक्त कथन तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शिवलिंग व नन्दी को अन्यत्र उठा ले जाने मात्र से प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति का स्वरूप स्वमेव परिवर्तित नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर आरोप के पठनीय साक्ष्य के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक **06-08-2022** में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त मूर्तियों को स्थानान्तरित करने के बावजूद प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति का स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भवन (देवोत्तर सम्पत्ति) के सम्बन्ध में सेवायत या मुख्तारे आम द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण बैनामे के आधार पर अपचारी अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक-**16.02.2022** नियमों के विरुद्ध है। फलस्वरूप अपचारी अधिकारी द्वारा धारित पद का दुरुपयोग करने एवं देवोत्तर सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-1 प्रमाणित होता है।

विश्लेषण-

अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

द्वितीय आरोप में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि देवोत्तर सम्पत्ति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के पश्चात (मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-**56447/2003** श्यामल कुमार बनर्जी निर्मल रंजन मुखर्जी में मा० उच्च न्यायालय की अवधारणा एवं हिन्दू अप्राप्तवयता एवं सरक्षकता अधिनियम-**1956** की धारा-**8(2)** अन्तर्गत हिन्दू देवता/मूर्ति के स्वामित्व की सम्पत्ति के अन्तरण के पूर्व सक्षम धारिता न्यायालय की अनुमति आवश्यक है) नामान्तरण किये जाने का प्रावधान है। उक्त का उल्लेख विधिक राय दिनांक-**21-06-2021** में भी किया गया है। परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रक्रिया/नियम को पूर्ण किये बिना आदेश दिनांक-**16-02-2022** निर्गत किया गया, जो कि नियमों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का यह कथन है कि व्यक्तिगत देवोत्तर सम्पत्ति पर उ०प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम **1962** के प्रावधान व्यवहारिक व प्रभावी नहीं हैं। अस्तु व्यक्तिगत देवोत्तर सम्पत्ति पर नामान्तरण के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा नामान्तरण से किसी के मालिकाना हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि नामान्तरण मात्र टैक्स की वसूली के लिए किया जाता है। यदि अपचारी अधिकारी के उक्त कथन को मान लिया जाय कि प्रश्नगत भवन सार्वजनिक देवोत्तर सम्पत्ति न होकर व्यक्तिगत देवोत्तर सम्पत्ति रहा है तो भी उक्त देवोत्तर सम्पत्ति को सेवायत या मुख्तारे आम को विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे में यदि

बिना अधिकार के उक्त सम्पत्ति का बैनामा किया गया था तो मात्र दस्तावेज़ पंजीकृत होने के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 16-02-2022 नियम संगत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अपचारी कर्मचारी द्वारा उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-2 प्रमाणित होता है।

विश्लेषण-

अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

तृतीय आरोप में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि प्रकरण में प्रस्तुत विधिक राय दिनांक-21-06-2021 में उल्लिखित है कि उक्त देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय के बाबत फौजदारी मु.अ.स. 43/2018 अन्तर्गत मुकदमा सं०- 411/2018 आई.पी.सी. विचाराधीन है। साथ ही उल्लिखित है कि मु.स.-19/2016 उक्त सम्पत्ति के विक्रय की पूर्व अनुमति लिये जाने से सम्बन्धित है, जिसे निरस्त किये जाने हेतु वादी का प्रार्थना पत्र निस्तारित है। मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में वादीगणों ने बगैर माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये देवोत्तर सम्पत्ति को वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध उक्त सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बताते हुए जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं है। अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक-16-02-2022 को आदेश पारित किये जाने के पूर्व न तो उक्त मुकदमों के सम्बन्ध में और न ही इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय पर कोई विचार किया गया तथा प्रकरण में कोई स्थिति स्पष्ट किये बिना आदेश दिनांक-16-02-2022 निर्गत कर दिया गया, जो विभागीय प्रक्रिया के विपरीत मनमानेपन को प्रदर्शित करता है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का यह कथन है कि उनके द्वारा पारित किया गया आदेश विधिक राय दिनांक-21-06-2021 के अनुसार ही है। इस परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी का कथन ग्राह्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा विधिक राय दिनांक-21-06-2021 के अन्तिम पैरा के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन रहने मात्र से नगर निगम के नामांकन की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। नगर निगम स्वामित्व/स्वत्व का निर्धारण नहीं करता है। न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन रहने मात्र से नगर निगम के नामांकन की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। नगर निगम स्वामित्व/स्वत्व का निर्धारण नहीं करता है। नामांकन आवेदन का नियमानुसार निस्तारण आवश्यक है। अग्रेतर यह भी उल्लेख है कि उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत स्थल का स्थलीय परीक्षण आख्या व दाखिल साक्ष्यों के बावत गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। वस्तुतः अपचारी अधिकारी द्वारा विधिक राय दिनांक 21-06-2021 का समग्र रूप से संज्ञान ही नहीं लिया गया है। उक्त विधिक राय के प्रथम बिन्दु में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भवन उपरोक्त पर ठाकुर राधा कृष्ण श्री महादेव मूर्ति मालिक, सेवायत श्रीमती शोभा मुखर्जी पत्नी स्व० प्रद्योत मुखर्जी, श्री प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० प्रद्योत कुमार मुखर्जी का नाम नगर निगम अभिलेखों में दर्ज है। उक्त सेवायतों प्रशान्त कुमार मुखर्जी वगैरह ने भवन

उपरोक्त को जरिये पंजीकृत विक्रय-विलेख रजिस्ट्रीकृत दिनांक 07-03-2018 निजी सम्पत्ति बताते हुये विक्रय कर दिया गया है। पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों/अभिलेखों, नगर निगम रिकार्ड, आख्या, वाद-पत्र, वसीयतनामा, आपत्ति-पत्र वगैरह के अनुसार भवन उपरोक्त देवता को अर्पित देवोत्तर सम्पत्ति है और विक्रेतागण उक्त सम्पत्ति के सेवायत हैं। सामान्यतः सेवायतों को देवोत्तर सम्पत्ति विक्रय करने का अधिकार विधितः प्राप्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सेवाईत/सेवायत शब्द उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसके माध्यम से मूर्ति कार्य करती है, मूर्ति की सम्पत्ति का स्वामित्व देवता के पास होता है, क्योंकि हिन्दू विधि में मूर्ति को एक विधिक व्यक्ति माना गया है, जिसका प्रबन्धक व अभिभोग सेवायत के पास होता है और स्वामित्व देवता में निहित होता है। ऐसी सम्पत्ति का विक्रय द्वारा हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य होता है। देवोत्तर सम्पत्ति के विलेख में उत्तराधिकार की शर्तें समर्पण का अंग होती हैं और एक बार देवी-देवता के पक्ष में सम्पत्ति का समर्पण कर दिये जाने पर वह सम्पत्ति अप्रतिसंहरणीय हो जाती है। सेवायत को यह भी अधिकार नहीं है कि वह मूर्ति की उपेक्षा कर अपने हित में सम्पत्ति का उपयोग करे। धनलाभ के लिए न तो मंदिर न तो मूर्ति और न ही सेवायती अधिकार का हस्तान्तरण विक्रय के रूप में किया जा सकता है। विशेष स्थितियों में विक्रय सक्षम न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय के बाबत फौजदारी मु०अ०सं० 43/2018 अन्तर्गत धारा-419, 420 व 406 आई०पी०सी० विचाराधीन है।

विधिक राय दिनांक 21-06-2021 के द्वितीय बिन्दु में यह उल्लेख है कि प्रकीर्ण वाद सं०-19/2016 प्रशान्त कुमार मुखर्जी वगैरह बनाम राज्य सरकार उपरोक्त सम्पत्ति को देवोत्तर सम्पत्ति और स्वयं को सेवायत बताते हुये वादीगणों प्रशान्त कुमार वगैरह द्वारा उक्त भवन के किरायेदार राम कुमार वगैरह जिन्हें वादीगणों ने उक्त भवन में स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा-पाठ करने वाला बताया है, को विक्रय करने की अनुमति हेतु जिला जज वाराणसी की अदालत में सम्पत्ति में स्थित देवी देवताओं का पूजा-पाठ, रख-रखाव, राग-भोग, श्रृंगार वगैरह की उचित व्यवस्था तथा उक्त देवोत्तर सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु दाखिल किया गया तथा उक्त प्रकीर्ण वाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्यामल रंजन मुखर्जी बनाम निर्मल रंजन मुखर्जी "2007(6) ए०एल०जे०-778" में किये गये निर्देश का भी वाद-पत्र में आधार लिया गया कि देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्व माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। किन्तु वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बिना अनुमति प्राप्त किये स्वयं निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिनांकित 27-07-2016 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त देवोत्तर सम्पत्ति वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी गैर ब्राह्मण को अन्तरित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में वादीगणों ने बगैर माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये देवोत्तर सम्पत्ति के वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध उक्त सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बताते हुये जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया है, जो प्रथमदृष्टया विधि सम्मत नहीं है।

इस प्रकार उक्त विधिक राय से यह स्पष्ट है कि मु०सं०-19/2016 प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय की पूर्व अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में दाखिल किया गया था, परन्तु बाद में वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बिना अनुमति प्राप्त किये स्वयं निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिनांकित 27-07-2016 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त देवोत्तर सम्पत्ति वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी गैर ब्राह्मण को अन्तरित नहीं किया जा सकता है। वादीगण का उक्त प्रार्थना-पत्र निस्तारित है। उक्त मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में वादीगणों ने प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय की अनुमति प्राप्त नहीं किया, अपितु

देवोत्तर सम्पत्ति के वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध उक्त सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बताते हुए जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सेवायतों को प्रश्रुत देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। इससे यह भी स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 16-02-2022 को आदेश पारित किये जाने के पूर्व न तो उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में और न ही इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय पर कोई विचार किया गया तथा प्रकरण में कोई स्थिति स्पष्ट किये बिना आदेश दिनांक 16-02-2022 निर्गत कर दिया गया, जो विभागीय प्रक्रिया के विपरीत मनमानेपन को प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप अपचारी अधिकारी के प्रति उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-3 प्रमाणित होता है।

विश्लेषण-

अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

चतुर्थ आरोप में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक - 16.2.2022 में जिलाधिकारी के पत्र संख्या - 4259/सी०टी०- 2018, दिनांक - 12.02.2018 का उल्लेख किया गया है। उक्त आदेश में देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय/नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं दी गयी है। साथ ही भवन देवोत्तर सम्पत्ति नहीं रहा, का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परन्तु उक्त तथ्य पर विचार किये बिना आदेश दिनांक-16.02.2022 पारित किया जाना नियमों के विपरीत है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का यह कथन है कि श्री प्रशान्त कुमार मुखर्जी ने इस आशय का आवेदन पत्र दिया था कि प्रश्रुत भवन बहुत ही पुराना जर्जर है जो प्रार्थी का पुरतैनी सम्पत्ति है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। प्रार्थी उक्त भवन में पूजा पाठ करने या उसमें निवास करने की स्थिति में नहीं है। प्रार्थी ने अपने अन्यत्र क्रय किये भवन (लखनऊ) ले जाकर उक्त देवतागणों को विस्थापित कर विधि विधान के साथ प्राण-प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी। इस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) व क्षेत्राधिकारी (दशाश्वमेध) से जांच कराके लखनऊ ले जाने की अनुमति जिलाधिकारी महोदय ने दी। तदनुसार पक्ष ने शिवलिंग व नन्दी की मूर्ति को ले जाकर लखनऊ अपने निवास स्थान पर स्थापित कर दिये। उक्त भवन अब देवोत्तर सम्पत्ति रही ही नहीं है। वसीयतनामा के पैरा 03 में यह व्यवस्था दी गयी है कि भवन जर्जर हो जाने की स्थिति में उसे बेच कर दूसरा भवन क्रय करके उसमें देवतागण को स्थापित कर विधि सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर उनका वंशानुक्रम में सेवा पूजा राग भोग आदि बिना व्यवधान के करता रहे।

अपचारी अधिकारी का उक्त कथन तर्कसंगत न होने के कारण ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। वस्तुतः नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक 06-08-2022 के प्रस्तर-5 में इस तथ्य का उल्लेख है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रशान्त कुमार मुखर्जी को प्रेषित पत्र दिनांक 12-02-2018 में यह लिखा गया है कि "प्रशान्त कुमार मुखर्जी निवासी मकान नं०-डी० 28/105 को दोनों शिवलिंग / नन्दी महाराज की मूर्ति को लखनऊ अपने निवास स्थान पर ले जाने एवं विधि विधान से स्थापित

कर पूजा-पाठ करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होता।" परन्तु इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि क्या सभी देवता उक्त देवोत्तर सम्पत्ति से स्थानान्तरित किये गये हैं। इसके विपरीत मौके पर अभी भी भवन में देवता स्थापित हैं तथा वहाँ पूजा-अर्चना होती है। यह नगर निगम द्वारा कभी भी भवन जर्जर व खण्डहर भी घोषित नहीं है। प्रथम दृष्टया मकान नं०-डी० 28/105 की प्रास्थिति अभी भी देवोत्तर सम्पत्ति की ही है तथा यहाँ अभी भी पूजा अर्चना होती है। इस प्रकार इस भवन का जो विक्रय किया गया है वह वस्तुतः देवोत्तर सम्पत्ति का ही विक्रय है। नगर आयुक्त के उक्त पत्र के प्रस्तर-6 में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान कर निर्धारण पंजिका में सोमा मुखर्जी आदि का नाम बतौर सेवायत दर्ज है। यदि किसी परिस्थिति में यहाँ से देवताओं को स्थानान्तरित भी कर दिया जाये तो इस सम्पत्ति पर स्वत्व हेतु पक्षों को वाद संस्थित कर इस आशय की घोषणा प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार प्रश्नगत भवन को किसी भी दर्ज सेवायत को विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक 06-08-2022 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 12-02-2018 द्वारा प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति में स्थापित दोनों शिवलिंग / नन्दी महाराज की मूर्ति को प्रार्थी को लखनऊ अपने निवास स्थान पर ले जाने एवं विधि विधान से स्थापित कर पूजा-पाठ करने के सम्बन्ध में अनापत्ति व्यक्त करने के क्रम में उक्त मूर्तियों को स्थानान्तरित करने के बावजूद प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति का स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है और अब भी उक्त देवोत्तर सम्पत्ति में देवता स्थापित हैं तथा यहाँ पूजा-अर्चना होती है। जिलाधिकारी वाराणसी के उक्त पत्र / आदेश में देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय / नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं दी गयी है। सेवायत या मुख्तार आम को देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। परन्तु, उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना अपचारी अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक-16-02-2022 पारित किया जाना नियमों के विपरीत है। फलस्वरूप अपचारी अधिकारी के प्रति उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-4 प्रमाणित होता है।

विश्लेषण-

अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

आरोप संख्या-5 में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि उनके द्वारा पत्रावली में दिनांक-23-12-2021 को उल्लिखित किया गया है कि प्रकरण में स्वयं निरीक्षण करने मौके पर जाऊंगा, अगली तिथि दिनांक-05-01-2022 नियत की जाती है। परन्तु स्थलीय निरीक्षण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही दिनांक-27-01-2022 को लिखा गया है कि आवेदन आपत्तिकर्ता अनुपस्थित है पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की जाती है। बिना स्थलीय निरीक्षण के तथा पक्षों की अनुपस्थिति में वाद पत्रावली आदेश सुरक्षित किया जाना अपीलीय कार्यवाही में अनियमितता प्रदर्शित करता है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि चूँकि वह स्वयं प्रकरण की सुनवाई कर रहे थे, ऐसी स्थिति में अलग से निरीक्षण आख्या संलग्न करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हुआ। उनके द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया जिसका पूर्णतया उल्लेख उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक-16-02-2022 में दर्शित है। इस नामान्तरण के प्रकरण में जो भी आवेदन पत्र या आपत्ति पत्र प्राप्त हुये उसको दृष्टिगत रखते हुये सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विषय का निस्तारण किया गया है। अपचारी अधिकारी का उक्त कथन तर्क संगत न होने के कारण ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। आरोप के पठनीय साक्ष्य के रूप में नगर आयुक्त नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक **06-08-2022** के प्रस्तर-7 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जोनल अधिकारी (अपचारी अधिकारी) ने दिनांक **23-12-2021** को लिखा कि प्रकरण में स्वयं निरीक्षण करने मौके पर जाऊँगा। अगली तिथि **05-01-2022** को नियत की जाती है। तत्पश्चात किसी भी दिन स्थलीय निरीक्षण किये जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। दिनांक **27-01-2022** को लिखा गया कि आवेदक व आपत्तिकर्ता अनुपस्थित हैं, पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की जाती है तथा दिनांक **16-02-2022** को अवैध अन्तरण के आधार पर नामान्तरण आदेश निर्गत कर देवोत्तर सम्पत्ति पर श्री मो० जावेद पुत्र हमीद अख्तर, आशा खातून पत्नी जावेद अख्तर, जमाल अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व इरन सबा पत्नी जमाल अख्तर का नाम अंकित किया गया। बिना स्थलीय निरीक्षण के तथा पक्षों की अनुपस्थिति में वाद पत्रावली आदेश में सुरक्षित करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। वस्तुतः जोनल अधिकारी (अपचारी अधिकारी) से यह अपेक्षा थी कि वह प्रश्रगत सम्पत्ति का न केवल गहराई से स्थलीय निरीक्षण करते, अपितु निरीक्षण के सम्बन्ध में स्पॉट मेमो तैयार कर पत्रावली पर रखते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जबकि, नगर आयुक्त, नगर निगम के पत्र दिनांक **06-08-2022** के प्रस्तर-5 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मौके पर अभी भी भवन में देवता स्थापित हैं तथा वहाँ पूजा-अर्चना होती है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा प्रक्रिया के अनुसरण में गंभीर अनियमितता बरती गयी है और पक्षकारों की अनुपस्थिति में, मनमाने तौर पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। फलस्वरूप अपचारी अधिकारी के प्रति यह आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-5 प्रमाणित होता है।

विश्लेषण-

अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर लगाये गये आरोप, उसके पठनीय साक्ष्य तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसके समर्थन में दिये गये साक्ष्य के आलोक में विश्लेषण किया गया।

आरोप संख्या-6 में अपचारी अधिकारी को मुख्यतः यह आरोपित किया गया है कि उनके द्वारा देवोत्तर सम्पत्ति को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना एवं अनाधिकृत दस्तावेजों के आधार पर अपीलिय प्रक्रिया में अनियमितता करते हुए अविधिक नामान्तरण से मौके पर कानून व्यवस्था के भंग होने की आशंका है तथा इससे नगर निगम वाराणसी की छवि भी धूमिल हुई है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह कथन किया है कि भवन सं० डी.28/105 कभी भी सार्वजनिक देवोत्तर सम्पत्ति नहीं रही है, बल्कि व्यक्तिगत देवोत्तर सम्पत्ति रही है। मकान मालिक स्वयं के पूजा पाठ के लिए उसमें शिवलिंग और नन्दी की मूर्ति स्थापित किये थे। भवन में मकान मालिक रहते थे और किरायेदार भी थे।

भवन जर्जर हो जाने के कारण मकान मालिक जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 12-02-2018 के अनुसार दोनों शिवलिंग और नन्दी की मूर्ति को लखनऊ अपने निवास स्थान पर ले गये। इस प्रकार उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक-16-02-2022 विधिक सम्मत है, किसी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी गई है। अपचारी अधिकारी का उक्त कथन तर्क संगत न होने के कारण ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। आरोप के पठनीय साक्ष्य के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक 06-08-2022 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 12-02-2018 द्वारा प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति में स्थापित दोनों शिवलिंग/नंदी महाराज की मूर्ति को प्रार्थी को लखनऊ अपने निवास स्थान पर ले जाने एवं विधि विधान से स्थापित कर पूजा-पाठ करने के सम्बन्ध में अनापत्ति व्यक्त करने के क्रम में उक्त मूर्तियों को स्थानान्तरित करने के बावजूद प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति का स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है और अब भी उक्त देवोत्तर सम्पत्ति में देवता स्थापित हैं तथा वहाँ पूजा-अर्चना होती है। जिलाधिकारी, वाराणसी के उक्त पत्र/आदेश में देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय/नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं दी गयी है। सेवायत या मुख्तारे आम को देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। परन्तु, उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना अपचारी अधिकारी द्वारा अनाधिकृत दस्तावेज के आधार पर आदेश दिनांक-16-02-2022 पारित किया जाना नियमों के विपरीत है।

उक्त क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि विधिक राय दिनांक 21-06-2021 में वर्णित तथ्यों के अनुसार मु०स०-19/2016 प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय की पूर्व अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में मा० जिला जज के न्यायालय में दाखिल किया गया था, परन्तु बाद में वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बिना अनुमति प्राप्त किये स्वयं निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिनांकित 27-07-2016 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त देवोत्तर सम्पत्ति वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी गैर ब्राह्मण को अन्तरित नहीं किया जा सकता है। वादीगण का उक्त प्रार्थना-पत्र निस्तारित है। उक्त मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में वादीगणों ने प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय की अनुमति प्राप्त नहीं किया, अपितु देवोत्तर सम्पत्ति के वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध उक्त सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बताते हुए जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सेवायतों को प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। इससे यह भी स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 16-02-2022 को आदेश पारित किये जाने के पूर्व न तो उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में और न ही इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय पर कोई विचार किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि जब वादीगणों द्वारा प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के विक्रय की अनुमति से सम्बन्धित वाद को बिना अनुमति प्राप्त किये स्वयं निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त देवोत्तर सम्पत्ति वसीयतनामे के विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी गैर ब्राह्मण को अन्तरित नहीं किया जा सकता है, तो पुनः उसी सम्पत्ति को गैर ब्राह्मण (दूसरे सम्प्रदाय के) श्री मो० जावेद को कैसे अन्तरित की जा सकती थी। प्रश्नगत देवोत्तर सम्पत्ति के सम्बन्ध में गैर ब्राह्मण (दूसरे सम्प्रदाय) को निष्पादित अनधिकृत दस्तावेज के आधार पर पारित अविधिक नामान्तरण आदेश से मौके पर कानून व्यवस्था के भंग होने की आशंका को बल मिलता है। फलस्वरूप अपचारी अधिकारी के प्रति उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप संख्या-6 प्रमाणित होता है।”

10. After inquiry report was served upon Disciplinary Authority, a show cause notice along with inquiry report was served upon the petitioner. The petitioner submitted reply on 02.06.2023 and finally, impugned order dated 16.11.2024/05.12.2024 was passed whereby on basis of proved six charges, punishment of removal from service without any bar to subsequent employment was passed. Relevant part of order is quoted below :-

“6- विभाग का मत-

अपचारी अधिकारी के विरुद्ध विरचित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या के प्रस्तर-2 में स्पष्ट रूप से यह कथन अंकित किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से और कुछ नहीं कहना है और न ही किसी साक्षी का बयान कराना है। उक्त से यह स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी को उनका पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु जांच अधिकारी द्वारा पूर्ण अवसर दिया गया है। ऐसे में अपचारी अधिकारी के प्रत्यावेदन में उल्लिखित इस बिन्दु पर कि पुनः कोई जांच अधिकारी नामित किया जाय, का अवसर नहीं रह जाता है। चूंकि जांच अधिकारी द्वारा तथ्य सम्मत तथा समस्त बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक जांच की गयी है तथा अपचारी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल पर आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 सिद्ध पाये गये हैं।

7- अतएव अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोपों, अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मण्डल, वाराणसी की जांच आख्या दिनांक-10.04.2023 के परीक्षणोंपरान्त श्री रामेश्वर दयाल, तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी नगर निगम, वाराणसी सम्प्रति नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन पर आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाया गया है तथा श्री दयाल अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए दोषी हैं।

अतः श्री रामेश्वर दयाल, तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी नगर निगम, वाराणसी सम्प्रति नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के विरुद्ध सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 में उल्लिखित दीर्घ शास्तियों के क्रम तीन के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत दण्ड का विनिश्चय किया गया है:-

"(तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरहित नहीं करता हो"

8- उल्लेखनीय है कि श्री रामेश्वर दयाल, तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी सम्प्रति नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के विरुद्ध शासन द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किये गये दण्ड पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की सहमति प्राप्त की गयी। आयोग द्वारा श्री रामेश्वर दयाल के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-3 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही में शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है।

9- अतः उपर्युक्त वर्णित विस्तृत वस्तुस्थिति, अपचारी अधिकारी के विरुद्ध निर्गत आरोप पत्र, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, अपचारी अधिकारी के उत्तर/अभ्यावेदन, लोक सेवा आयोग की संस्तुति तथा प्रकरण में उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री रामेश्वर दयाल, तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी नगर निगम, वाराणसी सम्प्रति नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन को उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 (तीन) के अन्तर्गत सेवा से पृथक करते हुए (जो भविष्य में नियोजन से निरहित नहीं करता हो) कार्यालय ज्ञाप संख्या-249536/2022 दिनांक 19.12.2022 के द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।"

11. Aforesaid order dated 05.12.2024 is under challenge before this Court.

12. Sri Ashok Khare, learned Senior Advocate assisted by Sri Arpit Agarwal, learned counsel for petitioner has vehemently challenged the impugned order, though, he has not denied that in certain circumstances, a disciplinary proceedings can be initiated against an officer on an order passed under capacity of quasi judicial proceedings, however, he further submitted that in order to initiate disciplinary proceedings, in such circumstances, it must be seen that order in question i.e. order passed on mutation application was passed in an irregular manner or any undue haste or apparently with a view to confer undue favour upon applicant.

13. Learned Senior Advocate also submitted that no oral hearing was provided during inquiry and as such inquiry report was an ex-parte report. The findings returned by

Disciplinary Authority are perverse such as petitioner has conducted a spot inspection before order on application for mutation was passed and it was recorded in the impugned order also, still Disciplinary Authority proceeded on an assumption that petitioner has not sought any report during mutation proceedings.

14. Learned Senior Advocate further referred that District Magistrate vide its order dated 12.02.2018 has allowed to shift the deity situated to a house at Lucknow for better puja and as application for that was allowed. As such, it was a private endowment property and not a public endowment property.

15. Learned Senior Advocate has also referred a judgment passed by Division Bench of this Court in **Kaptan Singh vs. State of U.P. and another, 2014:AHC:95008-DB** that in case of disciplinary proceedings where major punishment can be awarded and if conducted without oral hearing, it could be held that due procedure was not followed.

16. Learned Senior Advocate lastly submitted that there was no charge or finding that petitioner has conferred any undue favour upon applicant by allowing the mutation application and that in a given set of circumstances and on basis of proved charge, major punishment i.e. dismissal from service is shockingly disproportionate.

17. Per contra, Sri M.C. Chaturvedi, learned Senior Advocate assisted by Sri A.K. Srivastava, learned counsel for respondents and Sri Saurabh, learned Standing Counsel have submitted that disciplinary proceedings were conducted in due

process. The petitioner was granted ample opportunities to place his case. The petitioner was called for oral hearing, however, he has submitted his written reply as well as he has made an endorsement that he was satisfied with procedure adopted. The petitioner has allowed mutation application without adhering to due process. He has not conducted any spot inspection as well as has not considered that in given circumstances, when property was of endowment, it could not be sold through power of attorney. The petitioner has failed to consider opinion given by the Government Advocate. No spot inspection was conducted. The punishment on proved charges were not shockingly disproportionate. The proceedings pending before Court was not taken note of.

18. I have considered above submissions and perused the records.

19. In given set of circumstances, petitioner has passed an order on mutation application wherein complainant was also a party as a quasi-judicial Authority. Law in regard to mutation proceedings is well settled that it is summary in nature. It does not declare any right, title of any property and during proceedings, in normal circumstances, registered sale deed can not be disputed specifically when no one has challenged the registered sale deed. An order passed under quasi-judicial proceedings could be challenged on a ground of illegality and only on a ground that an order is illegal would itself not become a ground to initiate disciplinary proceedings except when *Officer has acted in a manner as would reflect on his reputation of integrity or good faith or devotion to duty; if*

*there is prima facie material to show recklessness or misconduct in the discharge of his duty; if acted in a manner which is unbecoming of a Government servant; if acted negligently or that he omitted the prescribed conditions which are essential for the exercise of the statutory powers; if acted in order to unduly favour a party; and if actuated by corrupt motive.*

20. So far as discussion of law in regard to summary proceedings of mutation, Court takes note of a judgment passed by Supreme Court in **Karam Singh vs. Amarjit Singh and others, 2025 INSC 1238** wherein it was reiterated that it is well settled that mutation entries do not confer title and they serve a fiscal purpose i.e. to realize tax from a person whose name is reflected in revenue records and for that Supreme Court has referred its earlier judgments passed in **Balwant Singh vs. Daulat Singh, (1997) 7 SCC 137** and **Suraj Bhan vs. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186**. Relevant paragraphs of said order is quoted below :-

“16. In the instant case, the plaintiff instituted the suit by claiming title through succession to the estate of late Kartar Kaur. On the other hand, the defendants had set up a will alleged to have been executed by Kartar Kaur in their favour. Neither the plaint nor any document brought on record indicated that the will was probated or its validity was tested and upheld in regular civil proceedings inter-se parties. As far as mutation proceedings are concerned, it is well settled that mutation entries do not confer title. They serve a fiscal purpose, that is, to realize tax from the person whose name is recorded in the revenue records. Besides above, the plaint averments indicated that the mutation proceedings culminated in the year 2017 and the suit in question was instituted within three years thereafter.”

21. Now question remains whether petitioner while deciding application for mutation has committed misconduct so much as that disciplinary action be initiated which could culminate into a major punishment i.e. dismissal from service.

22. The respondents have not placed on record whether any statutory procedure is prescribed to decide an application for mutation so much as that it was blatantly disregarded by the petitioner, while deciding an application for mutation. A reference that no spot inspection was conducted is denied specifically and there was a reference also in the order on mutation application though not very specific but refers that a spot inspection was conducted. Otherwise also, the provisions of law were placed before the Court that spot inspection was mandatory though it may be a case that spot inspection was conducted as a custom or as a precaution prior to a decision on a mutation application.

23. So far as a legal position whether the **Sevayat** can make a sale deed or not, there is not much quarrel to a legal position that it cannot be looked during mutation proceedings specifically when registered sale deed was not questioned by a complainant or by any other aggrieved person before competent Civil Court. A proceedings pending does not directly challenge the sale deed.

24. Another factor that whether property in question was a public endowment or private endowment, Court takes note that deity has already been shifted from Varanasi to Lucknow with the permission of District Magistrate, Varanasi, therefore,

subsequent to said act, property in question might have lost a position of a public endowment, though Court is not entering much into this controversy since it was not an issue raised in this writ petition except referred in consideration of disciplinary proceedings and otherwise also, during mutation proceedings, such aspect might not look into when application was filed on a registered sale deed.

25. An order passed by quasi-judicial Authority can be challenged before appropriate forum and only on a ground that an order is illegal cannot itself become a ground for initiating disciplinary proceedings. There must be much more than and for that Court takes note of few paragraph of a recent judgment passed by Supreme Court in **Amresh Shrivastava vs. The State of Madhya Pradesh and others, 2025 INSC 417**, which are quoted below :-

“14. The facts as have been narrated above are not in dispute. Two aspects which need to be considered are:

(1) Whether the chargesheet issued to the Appellant by the Respondent-State would fall within the scope of observations that have been carved out by this Court in K.K. Dhawan case (supra)?

(2) Whether inordinate unexplained delay in issuance of the chargesheet (in this case 14 years) would in itself be a ground for quashing the chargesheet issued to the appellant?

15. As regards the first question in K.K. Dhawan case (supra), this Court carved out the following situations where the government is not precluded from taking disciplinary actions for violation of the Code of Conduct:-

“(i) Where the officer had acted in a manner as would reflect on his

reputation for integrity or good faith or devotion to duty;

(ii) If there is prima facie material to show recklessness or misconduct in the discharge of his duty;

(iii) if he has acted in a manner which is unbecoming of a Government servant;

(iv) if he had acted negligently or that he omitted the prescribed conditions which are essential for the exercise of the statutory powers;

(v) if he had acted in order to unduly favour a party;

(vi) if he had been actuated by corrupt motive however, small the bribe may be because Lord Coke said long ago "though the bribe may be small, yet the fault is great."

**After carving out the above exceptions, this Court proceeded to further observe that mere technical violations or the fact that an order is wrong, if not falling under the above enumerated instances, does not warrant disciplinary actions. It was further reiterated that each case depends on its facts, and absolute rules cannot be postulated. The above instances as referred and reproduced hereinabove, are thus only a guide and not meant to be mandatorily adhere to without exception.**

16. In the present case, we are of the considered view that the charges alleged against the Appellant in the chargesheet fall under the category of a wrongful order, which does not appear to have been influenced by extraneous factors or any form of gratification. It appears that the order has been passed in good faith, without any indication of dishonesty. Furthermore, the facts outlined in the Show Cause Notice do not suggest any such impropriety. The power exercised by the Appellant in his capacity as a Tehsildar, while passing the order of Land Settlement Order, cannot be considered of a nature that would warrant disciplinary proceedings against him.

The decision relied upon by the Counsel for the Appellant as mentioned above, supports this view. Consequently, the first question is answered in favor of the Appellant."

26. In above background, Court takes note of charge sheet and order passed by Disciplinary Authority that there is no charge that order passed in mutation application was influenced by extraneous factor or with any form of corrupt motive and in case the order was passed in good faith without any indication of dishonesty, entire disciplinary proceedings can be quashed.

27. The disciplinary proceedings was proceeded on allegations that by allowing mutation application, the petitioner has caused loss to an endowment property and further petitioner has not followed prescribed procedure to make a spot inspection as it is being mentioned in inquiry proceedings that deity were still available at property in question and puja was going on.

28. Another factor is considered in disciplinary proceedings that Sevayat of deity cannot make a sale deed, however, an important legal aspect has been missed in disciplinary proceedings that during mutation proceedings, Authority concerned cannot go beyond the registered sale deed to question it so much as that whether vendor has power to execute the sale deed or not, since it would be a case where even without challenge to sale deed before a competent Court, sale deed was disputed which cannot be done in a mutation proceedings.

29. The petitioner has followed the due process and on basis of registered sale deed which has not been challenged anywhere has allowed application for mutation. There is no proof that order was suffered with extraneous consideration though it may be a case that some legal mistakes were committed and for that purpose, it can be challenged before higher Forum and that complainant has challenged the same, therefore, a legal error, if any, can be cured by higher forum. Therefore, Court also relies upon a judgment of Supreme Court in **Zunjarrao Bhikaji Nagarkar vs. Union of India, (1999) 7 SCC 409** that any error by quasi-judicial officer in a particular judgment/order does not automatically imply misconduct or favoritism. The disciplinary action requires clear evidence of extraneous influence beyond legal mistake to avoid judicial independence and as referred above, in present case, in the entire disciplinary proceedings, there is no iota of evidence of extraneous influence. It may be a case that petitioner has not carefully passed order on a mutation application or committed any legal error, though at this stage, Court does not find that there was a legal error. Still Court leaves it upon Authority where order of mutation is under challenge.

30. In overall circumstances, Court finds that charges as levelled in charge sheet cannot be proved as there is no legal provision that petitioner being a Tax Officer is bound to follow a legal opinion of a Government Advocate or he was bound to conduct a spot inspection or to verify whether vendor was competent to execute a sale deed and also to

verify any legal proceedings pending except sale deed rather Court finds that initiation of disciplinary proceedings was itself faulty, therefore, it is a case where even under a limited review jurisdiction, order passed by Disciplinary Authority can be interfered being a rare case.

31. In aforesaid circumstances, when in a case such as case in hand, where disciplinary proceedings were based on 'no evidence' and where a person of normal procedure cannot support outcome of proceedings, Court finds that there is no justification to record remand present matter for fresh consideration since very foundation of disciplinary proceedings and nature of changes are suffered with various legal infirmities and therefore a case of interference is also made out. It would be a futile exercise to remand the same. In regard, Court takes note of following two paragraphs of **Bhupinder Singh Gill vs. State of Punjab and others, 2025 INSC 83 :-**

"33. Certain generic principles governing interference with orders of punishment that are passed following inquiry proceedings have evolved over a period of time. Law is well settled that an administrative order punishing a delinquent employee is not ordinarily subject to correction in judicial review because the disciplinary authority is the sole judge of facts. If there is some legal evidence on which the findings can be based, then adequacy or even reliability of that evidence is not a matter for canvassing before the high court in a writ petition filed under Article 226 of the Constitution. However, should on consideration of the materials on record, the court be satisfied that there has been a violation of the principles of natural justice, or that the inquiry proceedings have been conducted contrary to statutory regulations prescribing the mode of such inquiry, or that the ultimate decision of

the disciplinary authority is vitiated by considerations extraneous to the evidence and merits of the case, or that the conclusion of the disciplinary authority is ex facie arbitrary or capricious, so much so that no reasonable person could have arrived at such conclusion, or there is any other ground very similar to the above, the high court may in the exercise of its discretion interfere to set things right. After all, public servants to whom Article 311 of the Constitution apply do enjoy certain procedural safeguards, enforcement of which by the high court can legitimately be urged by such servants depending upon the extent of breach that is manifestly demonstrated.

35. It also needs to be emphasised that although the traditional concept of natural justice comprises of the two rules that prohibit anyone from being condemned unheard and anyone from being a judge of his own cause, jurisprudence on natural justice principles have seen a distinct shift ever since the decision in *Maneka Gandhi v. India*, (1978) 1 SCC 248 constitutionalised principles of natural justice, as held in *Madhayamam Broadcasting Ltd. v. Union of India* (2023) 13 SCC 401. Drawing inspiration from such authorities, it would be apt to observe that in relation to disciplinary proceedings, subject to just exceptions, natural justice would envisage observance of procedural fairness before holding a public servant guilty of misconduct and imposing a punishment on him for such misconduct. While it is true that principles of natural justice supplement, and not supplant, the law, such principles have been declared by this Court to be a constituent feature of Article 14. Validity of any disciplinary action, whenever questioned, has to be tested on the touchstone of Articles 14, 16 and 21 as well as Article 311(2), wherever applicable. To test whether interference is warranted, this Court has laid down that the scrutiny ought to be confined to finding out whether the disciplinary proceedings have been conducted fairly; if not, an inference can be drawn that this has caused prejudice to the charged employee. Be that as it may, there can be no gainsaying that the consequences of violation of a fair procedure, which principles of natural justice embody, in a given situation has to be considered on a case-by-case basis bearing in mind that judicial review is not intended to be an appeal in disguise.”

32. Accordingly, it is interfered and impugned order whereby petitioner was awarded major punishment is set aside and its legal consequence shall follow.

33. Writ petition is, accordingly, **allowed**.

**(SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)**

**April 17, 2026**

<N. Sinha>